न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 40/2012 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2012/00069

उनवान

रोशन पुत्र गोविन्दा जाति जाट निवासी पुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर हाल आबाद भवनपुरा तहसील किरावली (मृतक)

1. लीलावती पत्नी स्व0 रोशनलाल
2. चन्द्रभान } पुत्रान स्व0 रोशनलाल जाति जाट निवासी ग्राम पुरा तहसील रूपवास जिला
3. बृजमोहन } भरतपुर हाल आबाद भवनपुरा तह0 किरावली,आगरा।
4. गुड्डी
5. रेखा } पुत्रीयान स्व0 रोशनलाल
6. कल्पना
7. नीरज
8. गीता

.....अपीलांट।

बनाम

1. ओमप्रकाश } पिसरान श्री रतन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम पुरा तहसील रूपवास, भरतपुर।
2. हरभान
3. लाखन
4. नैमीचन्द
5. रनवीर } पिसरान बदन सिंह जाति जाट नि0 ग्राम पुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
6. राधेश्याम
7. यशवन्त सिंह

..... असल रेस्पोंडेंट।

8. जितेन्द्र
9. लाल सिंह } पिसरान मांगीलाल जाति जाट नि0 ग्राम पुरा तह0 रूपवास हाल भवनपुरा तह0
10. प्रीतम सिंह } किरावली, आगरा।
11. वीरेन्द्र सिंह
12. रामवीर } पिसरान शिव सिंह जाति जाट नि0 हाल भवनपुरा तहसील किरावली, आगरा।
13. कमल सिंह
14. दयावती वेवा उदयवीर
15. अमित } पुत्रान उदयवीर नाबालिग जरिये माता दयावती वेवा उदयवीर जाति जाट निवासी
16. अनिल } ग्राम पुरा हाल भवनपुरा तहसील किरावली, आगरा।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास।
18. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा महलपुर चूरा जरिये मैनेजर।
19. भरतपुर सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक शाखा रूपवास जरिये मैनेजर।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 15.05.2012 मि.नं. 192/11 उनवानी रोशन बनाम ओमप्रकाश।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दिनेश शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पों0 श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय दिनांक–08.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2012 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम पुरा तहसील रूपवास जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन कानून जारी होने के समय अपीलाण्ट/वादी रोशन व चिरंजी निस्फ हिस्सा के मालिक काश्तकार थे तथा निस्फ हिस्सा में रैस्पो0/प्रतिवादीगण असल के पूर्वज रतन सिंह व बदन सिंह पिसरान चूरामन मालिक काश्तकार थे। उक्त विवादित आराजी के मालिकान, रोशन व चिरंजी तथा रतन सिंह व बदन सिंह ने संवत 2013 के आस–पास बॅटवारा कर लिया तथा मुताबिक बॅटवारा अलग–अलग काश्त करते रहे तथा राजस्व अभिलेख में भी बॅटवारे अनुसार ही इन्द्राज खुद काश्त अंकित थे। वाद पत्र की मद संख्या 05 में वर्णित आराजी किता 15 रकवा 18 बीघा 13 विस्वा वाके ग्राम पुरा में अपीलाण्ट/वादी निस्फ हिस्से तथा निस्फ हिस्से का चिरंजी पुत्र जग्गू मालिक था। परन्तु संवत 2018 की जमाबन्दी में वाद पत्र के मद संख्या 05 में वर्णित आराजी से अपीलाण्ट/वादी एवं चिरंजी का नाम विलोपित करते हुये, विवादित आराजी समस्त रकवा पर रैस्पो0/प्रतिवादीगण रतन सिंह व बदन सिंह को ही खातेदार राजस्व कर्मचारियों ने अंकित कर दिया, जो गलत व खिलाफ कानून है। वाद पत्र की मद संख्या 05 में वर्णित आराजी से रैस्पो0/प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर रैस्पो0/प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ती आ गयी है एवं वह विवादित आराजी से अपीलाण्ट/वादी को बेदखल करना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर, वाद पत्र की मद संख्या 05 में वर्णित आराजी में 1/2 हिस्सा का खुद काश्त होल्डर होने के नाते खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा रैस्पो0/प्रतिवादीगण के हो रहे गलत इन्द्राजों को कलमजन किये जाने का अनुतोष चाहा। दौराने दावा असल रैस्पो0/प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 02.12.2011 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत करते हुए, दावा अपीलाण्ट/वादी क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से दावा अपीलाण्ट/वादी खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ हैं, जो काबिल निरस्तनीय हैं। अपीलाण्ट के दावा की रिलीफ में वयनामा निरस्त कराने का कोई जिक्र नहीं है फिर भी अपीलाण्ट का दावा लायक अदालत तहत ने खारिज करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो दावा में तनकीयात कायम की एवं ना ही पक्षकारान की साक्ष्य ही ली गई है महज रैस्पो0 के प्रार्थना पत्र पर विश्वास करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0बी0जे0 2003 पेज 158, 2011 पेज 665, 2010 पेज 721, आरआरटी 2017 पेज 902, 2009 पेज 882 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, दावा अपीलाण्ट/वादी को मैरिट पर निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जबावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। विवादित आराजी को अपीलाण्ट के पूर्व श्री चिरंजी ने जरिये वयनामा हम रैस्पो0 के पूर्वजो श्री रतन सिंह व बदन सिंह को दिनांक 07.12.1956 को विक्रय कर दिया तथा कब्जा संभला दिया। अपीलाण्ट दावे की आड में उक्त वयनामा को निरस्त कराना चाहता है जबकि वयनामा को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही दावा अपीलाण्ट क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डी0एन0जे0 (एस.सी.) 2016 पेज 644(डी0बी0), 2011(3) पेज 1376, 2017(1) पेज 1, आरआरटी 2010(1) पेज 124, आरआरडी 1998 पेज 648, आरबीजे 1999 पेज 10 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में अंकित कथनों से सहमत होकर, अपीलाण्ट/वादी का दावा, क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण खारिज किया है। रैस्पो0/प्रतिवादी ने अपने वादोत्तर की मद संख्या 03 में भी, प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में अंकित आपत्ति को ही दोहराया है। हम पाते हैं कि रैस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वाद के द्वारा आदेश 7 नियम 11 (क) से (च) में से किस प्रावधान का व्यतिक्रम किया गया है। जब अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/प्रतिवादी की ओर से जबाव दावा प्रस्तुत हो ही गया था तो अधीनस्थ न्यायालय को यथोचित विवाद्यक (तनकीयात) कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, वाद का विधिसम्मत तरीके से निस्तारण करना चाहिए था। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के आधार पर **वाद पत्र को केवल तभी खारिज किया जा सकता है जब वाद पत्र में अंकित कथन मात्र से यह प्रतीत हो कि वाद विधि द्वारा वर्जित है।** इस प्रकरण में अपीलाण्ट/वादी अपने जबाव प्रार्थना पत्र में, रैस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में उठायी गयी आपत्ति कि विवादित आराजी का वयनामा अपीलाण्ट/वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के पूर्वजो ने उनके हक में कर दिया है, का खण्डन कर रहे हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिन आधारों पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार करते हुए, वाद खारिज किया है, वह आधार अभी भी साक्ष्य के मोहताज हैं।

6. हमने विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर गौर किया; रैस्पो0 की ओर से डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 644, जिस पर अत्याधिक बल दिया गया, का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उक्त न्यायिक नजीर में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी वाद के किसी भी चरण में प्रस्तुत किया जा सकता है और वाद के परीक्षण से पूर्व, आदेश 7 नियम 11 प्रार्थना पत्र का निस्तारण होना चाहिए। परन्तु उक्त नजीर से रैस्पो0 को नहीं बल्कि अपीलाण्ट को ही लाभ पहुॅचता है। हम उक्त निर्णय के अंश उद्धृत करना चाहेंगेः—

> ''The Trial Court can exercise the power at any stage of the suit- before registering the plaint or after issuing summons to the defendant at any time before the conclusion of the trial.... The only restriction is that consideration of the application for rejection should not be on the basis of the allegations made by the defendant in his written statement or on the basis of the allegations in the application for rejection of the plaint. The court has to consider only the plaint as a whole, and in case, the entire plaint comes under the situations covered by order VII Rule 11 (a) to (f) of the C.P.C the same has to be rejected.

उक्त नजीर में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी, निरस्त कर मूल चुनाव याचिका में सुनवाई करने के निर्देश दिये हैं। विचाराधीन अपील में हम आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रार्थना पत्र एवं मूल वाद के निस्तारण के क्रम का विवाद तय नहीं कर रहे हैं कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पहले तय होगा अथवा मूल वाद के साथ; हम मात्र यह तय कर रहे हैं कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में अधीनस्थ न्यायालय ने वाद अस्वीकृत करने में कोई त्रुटि की है अथवा नहीं।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न वाद पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि वाद पत्र में वाद हेतुक व वाद कारण स्पष्टतः दर्शाया गया है। हो सकता है कि प्रतिवादी इस वाद हेतुक के निराकरण, के क्षेत्राधिकार बाबत् असहमति रखते हों, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वाद पत्र में वर्णित वाद हेतुक निस्तारण का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अगर प्रतिवादी को वाद पत्र में अंकित तथ्यों से असहमति है तो उनसे जवाब दावा प्राप्त कर तदानुसार तनकी कायम करते हुए समुचित निर्णय लिया जा सकता है; लेकिन यह मानकर कि वाद हेतुक निस्तारण का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, दावे को सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वाद खारिज करने का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

8. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2012 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पुनः दावे एवं जबाव दावे के आधार पर यथोचित तनकीयात काययम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, वाद का विधिसम्मत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तरीके से यथाशीघ्र निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर